☎ Telefax 0135-2780122
E-mail: ukdirectorminority@gmail.com

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला देहरादून.

नियुक्ति आदेश

सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–262/11/ई–3/डी.आर/कनिष्ठ सहायक/2022–23 दिनांक 16 फरवरी, 2024 के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत रिक्त **"कनिष्ठ सहायकों"** वेतनक्रम ₹21700–69100 लेवल–3) के पदो पर नियुक्ति हेतु की गयी संस्तुति एवं संबंधित जिलाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्यानुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को कॉलम–6 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों पर अस्थाई रुप से नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

क्र0स0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पिता का नाम	श्रेणी	तैनाती कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	224259	श्री सौरभ शर्मा	श्री राम प्रताप शर्मा	Gen	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, हरिद्वार।
2	344393	श्री मनोज कुमार	श्री रकम सिंह	OBC	निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून।
3	302690	श्री अरविन्द सिंह	श्री बिजेन्द्र सिंह	OBC	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, हरिद्वार।
4	341617	श्री अर्जुन कुमार	श्री सुधीर कुमार	OBC	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, ऊधम सिंह नगर।
5	232165	श्री ललित नेगी	श्री पदम सिंह	EWS	उत्तराखण्ड राज्य हज समिति कार्यालय, (योगदान/सम्बद्ध जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, हरिद्वार)
6	307923	श्री मनोज	स्व0 श्री कचलू	SC	निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून।
7	303698	श्री नीरज कुमार	श्री आनन्द राम	SC	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, नैनीताल।

1. उक्त नियुक्ति सुसंगत नियमावलियों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि की होगी, तत्पश्चात्त कार्य/व्यवहार आदि का मूल्यांकन कर अग्रेत्तर निर्णय लिया जायेगा।
2. नियुक्त कार्मिक को वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रदत्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
3. सेवा की अन्य शर्तें वहीं होगी जो शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों पर लागू की जायेगी।
4. कार्मिकों का स्थानान्तरण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन किसी भी कार्यालय में किया जा सकेगा।
5. नियुक्त कार्मिक के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के नियुक्ति पश्चात किसी भी समय कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर, जो सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त न हो, यह नियुक्ति बिना क्षतिपूर्ति के तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।
6. उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है और किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
7. यदि आप उपरोक्त शर्तों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक हो, तो इस आदेश के प्राप्ति के 15 दिवसों के भीतर कॉलम–6 में अंकित कार्यालय में निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो, अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि आप उक्त सेवा के इच्छुक नहीं हैं।

(क) शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियॉ।

Telefax 0135-27[illegible]
E-mail: uk[illegible]minority@gmail.com

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला देहरादून.

नियुक्ति आदेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत रिक्त "सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी" वेतनमान ₹29200–92300 लेवल–5(1) के पद पर सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र–परीक्षा/271/2024–25 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा नियुक्ति हेतु की गयी संस्तुति एवं जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सत्यापन आख्या के आधार पर निम्नवत् अभ्यर्थियों को कॉलम–5 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/अभिभावक का नाम	स्थायी पता/पत्राचार	तैनाती हेतु प्रस्तावित कार्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री पंकज कुनियाल	श्री गोपाल दत्त कुनियाल	गांव– बमन बेरा, पोस्ट–देवाल, जिला चमोली, उत्तराखण्ड पिन कोड–246427	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
2	श्री विनोद कुमार मिश्रा	श्री ब्रह्मानंद मिश्रा	मिश्रा भवन, बंचौरा, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड पिन कोड–249152	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून।
3	श्री तनुज लोहनी	श्री रमेश चन्द्र लोहनी	गाड़गांव बागेश्वर उत्तराखण्ड पिन कोड–263642	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
4	श्रीमती प्रीति चुफाल	श्री राजेन्द्र सिंह चुफाल	कालाढूंगी रोड आदर्श नगर, हल्द्वानी तल्ली बमौरी, गली नं0–06 हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखण्ड पिन कोड–263139	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5	कु0 रूबी	श्री रोहिताश कुमार	ग्राम पोस्ट भलस्वागांज भलस्वागांज हरिद्वार।	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है और किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
2. उक्त नियुक्ति सुसंगत नियमावलियों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि की होगी, तत्पश्चात्त कार्य/व्यवहार आदि का मूल्यांकन कर अग्रेत्तर निर्णय लिया जायेगा।
3. नियुक्त कार्मिक को वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रदत्त महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
4. सेवा की अन्य शर्तें वहीं होगी जो शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों पर लागू की जायेंगी।
5. कार्मिकों का स्थानान्तरण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन किसी भी कार्यालय में किया जा सकेगा।
6. नियुक्त कार्मिक के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के नियुक्ति पश्चात किसी भी समय कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर, जो सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त न हो, यह नियुक्ति बिना क्षतिपूर्ति के तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।
7. यदि आप उपरोक्त शर्तों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक हो, तो इस आदेश के प्राप्ति के 15 दिवसों के भीतर कॉलम–5 में अंकित कार्यालयों में निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि आप उक्त सेवा के इच्छुक नहीं है।

(क) शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ।

(ख) अन्तिम शिक्षा संस्थान से प्राप्त चरित्र एवं आचरण का प्रमाण–पत्र।

(ग) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के कार्यरत किसी भी राजपत्रित अधिकारियों जो आपके सम्बन्धी न हो.
द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो विगत छः माह की अवधि के पूर्व का न हो।
(घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र।
(ङ) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा/वैवाहिक स्थिति।
(च) चल अचल सम्पत्ति की घोषणा।
(छ)शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा अन्य अनुभव आदि के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रमाण पत्र।
उपरोक्त (ङ एवं च) के संबंध में दी गई सूचना सत्य है, सम्बन्धी ₹100.00 पर शपथ पत्र।
(ज) पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा।
(झ) उपरोक्त चयन के संबंध में सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र–परीक्षा/271/2024–25 दिनांक 21.11.2024 में मा0 न्यायालय में कोई वाद प्रचलित न होने का उल्लेख किया गया है। यदि चयन के संबंध में भविष्य में कोई वाद संज्ञान में आता है तो ऐसी स्थिति में मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन सम्बन्धित अभ्यर्थी को किया जाना होगा।

2. अभ्यर्थी को आदेश प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर उपरोक्त वांछित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के साथ सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालयों में योगदान किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक योगदान न किये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

Signed by
Rajendra Kumar
Date: 17.02.2025 13:24:08

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं0 1023 नि0अ0क0/ई–/व्यक्तिग पत्रावली/2024–25 दिनांक 17 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तरखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून को उनके पत्र–परीक्षा/271/2024–25 दिनांक 21.11.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर को इस निर्देश के साथ की उपरोक्त पदों यदि प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्मिक तैनात हो तो संम्बन्धित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए नवीन चयनित अभ्यर्थियों के वांछित प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों की मूल प्रतियों से सत्यापनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करवाते हुए ब्लॉक स्तर पर तैनाती आदेश जारी करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से उनके पत्राचार पते पर अनुपालनार्थ प्रेषित।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला देहरादून,

आदेश

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–752 /XVII-B-1/2024-03(20)/2016 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा श्रीमती नन्दिनी तोमर को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर के रिक्त पद के सापेक्ष तैनाती प्रदान करते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक/तत्संबंधी आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

2. शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में श्रीमती नन्दिनी तोमर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हाल तैनाती निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून को आज दिनांक 19.12.2024 के अपराह्न में कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक/तत्संबंधी आख्या शासन/निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Signed by
Rajendra Kumar (राजेन्द्र कुमार)
Date: 19-12-2024 निदेशक 11

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक 852/नि.अ.क./ई–109306/व्य.प/2024–25 दिनांक 19 दिसम्बर, 2024
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. महालेखकार, उत्तराखण्ड, कॉलागढ, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 752/XVII-B-1/2024-03(20)/2016 दिनांक 19.12.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, कूमायू मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
7. संबंधित अधिकारी/व्य0पत्रावली।

निदेशक।

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्याः—752 /XVII-B-1/2024-03(20)/2016
देहरादून दिनांक 11 दिसम्बर, 2024

कार्यालय—ज्ञाप / तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वेतनमान रू0 35400—1,12,400 लेवल—6 के पद पर नव-चयनित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख और निम्न तालिका के कॉलम—3 में उल्लिखित जिला अल्पसंख्यक कार्यालयों में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है :—

क्र0सं0	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का नाम	तैनाती स्थल / जिला
1	2	3
1.	सुश्री इप्सिता रावत	जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, हरिद्वार
2.	श्रीमती नन्दिनी तोमर	जिला अल्पसंख्यक कल्यान कार्यालय, ऊधमसिंहनगर

उपरोक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने तैनाती स्थल पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करते हुए, कार्यभार प्रमाणक / तत्सम्बन्धी आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Signed by
Lalrinliana Fanai
Date: 18-12-2024 17:54:45

(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्याः— ( )/XVII-B-1/2024-03(20)/2016,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महालेखाकार, (ऑडिट), उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलायुक्त कुमाऊं / गढ़वाल।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून ।
6. जिलाधिकारी हरिद्वार / ऊधमसिंहनगर।
7. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार / ऊधमसिंहनगर।
8. सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (द्वारा—निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड)
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Hira Singh
Date: 19-12-2024 12:32:40

(हीरा सिंह बसेड़ा)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

15/10/24

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या:– 636 /XVII-B-1/2024-03(20)/2016
देहरादून : दिनांक 14 अक्टूबर, 2024

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी **श्रीमती नन्दिनी तोमर (अनुक्रमांक 196234) पुत्री श्री राम प्रकाश तोमर, मौहल्ला मालियान, मण्डी का कुऑं, ज्वालापुर, हरिद्वार, पिनकोड–249407** को **उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभागान्तर्गत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (वेतनमान रु0 35400–1,12,400 लेवल–6)** के पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रुप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– **श्रीमती नन्दिनी तोमर** द्वारा प्रथम नियुक्ति पर इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के भीतर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

3– प्रथम नियुक्ति के उपरान्त **श्रीमती नन्दिनी तोमर** को आरम्भिक प्रशिक्षण (Induction Training) में प्रतिभाग किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थान से प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4– यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगी।

5– एतद्द्वारा नियुक्ति अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तो के सम्बन्ध में सामान्य रुप से लागू व सरकार द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

6– अभ्यर्थी द्वारा योगदान प्रस्तुत करते समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

7– इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

8– योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण–पत्र/घोषणा–पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण–पत्र, उनकी एक–एक प्रमाणित छायाप्रतियो के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा(यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा–पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

D. Dir
Director 16.10.24
(A.O.)
D. Dir 18/10/24

(54) File No. MWS A/15/3/2024-XVII-B-1-...

(3032)

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

9— यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 300 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 155 (एस/बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाल अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून के समक्ष निर्धारित समयावधि के भीतर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तद्नुसार अनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

Signed by
Lalrinliana Fanai (एल0 फैनई)
Date: 14-10-2024 16:29: प्रमुख सचिव।

संख्याः– 636 ( )/XVII-B-1/2024-03(20)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार(ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या–174/46/ई–1/ डी0आर0 (पी0सी0एस0)/2020–21, दिनांक 03 सितम्बर, 2024 के संदर्भ में।
4. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून को सम्बन्धित अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निदेश सहित प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत योगदान आख्या सहित जनपदों में तैनाती का प्रस्ताव भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. मुख्य कोषाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।
9. **श्रीमती नन्दिनी तोमर (अनुक्रमांक 196234) पुत्री श्री राम प्रकाश तोमर, मौहल्ला मालियान, मण्डी का कुआँ, ज्वालापुर, हरिद्वार, पिनकोड–249407**
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Kumar (राजेन्द्र कुमार)
Date: 14-10-2024 16:37:09 अपर सचिव।

55

No. MWS-A/1575/2024-XVII-B-1-Minority Welfare Department (Computer No. 79753)

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला देहरादून,

आदेश

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–752/XVII-B-1/2024-03(20)/2016 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा सुश्री इप्सिता रावत, को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के रिक्त पद के सापेक्ष तैनाती प्रदान करते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक/तत्संबंधी आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

2. शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में सुश्री इप्सिता रावत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हाल तैनाती निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून को आज दिनांक 19.12.2024 के अपराह्न में कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक/तत्संबंधी आख्या शासन/निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Signed by
Rajendra Kumar
Date: 19-12-2024 16:40:10
(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक 851/नि.अ.क./ई–109301/व्य.प/2024–25 दिनांक 19 दिसम्बर, 2024
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखकार, उत्तराखण्ड, कॉलागढ, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–752/XVII-B-1/2024-03(20)/2016 दिनांक 19.12.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
6. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
7. संबंधित अधिकारी/व्य0पत्रावली।

निदेशक।

56

15/10/24

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या:- /XVII-B-1/2024-03(20)/2016
देहरादून : दिनांक 15 अक्टूबर, 2024

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी **सुश्री इप्सिता रावत (अनुक्रमांक 322218) पुत्री श्री राजेन्द्र रावत, बी-53/डी/एफ-1, निकट प्रसन्ना पार्क, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली, पिनकोड-110095** को **उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभागान्तर्गत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (वेतनमान रु0 35400-1,12,400 लेवल-6)** के पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रुप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- **सुश्री इप्सिता रावत** द्वारा प्रथम नियुक्ति पर इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के भीतर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

3- प्रथम नियुक्ति के उपरान्त **सुश्री इप्सिता रावत** को आरम्भिक प्रशिक्षण (Induction Training) में प्रतिभाग किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थान से प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

5- एतद्द्वारा नियुक्ति अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रुप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

6- अभ्यर्थी द्वारा योगदान प्रस्तुत करते समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

7- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

8- योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा(यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

D.Dir
Director 16.10.24.
S.N. Dhaundiyal (A.O.)
D.Dir 18/10/24

File No. MWS-A/15/9/2024-XVII-B-1-Minority Welfare Department (Computer No. 78753)

3035
57

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा–पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

9– यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 300 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 155 (एस/बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाल अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

10– सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून के समक्ष निर्धारित समयावधि के भीतर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार अनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

Signed by
Lalrinliana Fanai
Date: 14-10-2024 16:28:1 (एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या:– 635 ( )/XVII-B-1/2024-03(20)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार(ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या–174/46/ई–1/ डी0आर0 (पी0सी0एस0)/2020–21, दिनांक 03 सितम्बर, 2024 के संदर्भ में।
4. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून को सम्बन्धित अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निदेश सहित प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत योगदान आख्या सहित जनपदों में तैनाती का प्रस्ताव भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. मुख्य कोषाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।

File No. MWS-A/15/3/2024-XVII-B-1-Minority Welfare Department (Computer No. 73753)
[illegible]

9. सुश्री इप्सिता रावत (अनुक्रमांक 322218) पुत्री श्री राजेन्द्र रावत, बी–53/डी/एफ–1, निकट प्रसन्ना पार्क, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली, पिनकोड–110095
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Kumar
Date: 14-10-2024 16:37:33

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

File No. MWS-A/1579/2024-XVII-B-1-Minority Welfare Department (Computer No. 75793)

54

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्याः– 226 /XVII-B-1/2025-.1036/2013
देहरादून, दिनांक 28 अप्रैल, 2025

कार्यालय ज्ञाप

सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः265/XXIV-C-4/2025-01(03)/2017(E-40345), दिनांक 05.03.2025 के द्वारा डॉ शाहिद समी सिद्दीकी, प्रध्यापक, जन्तु विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून में महाप्रबन्धक के पद पर तैनात है, को तत्काल उच्च शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

D.Dir

2. उपरोक्त के क्रम में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून के पत्रांक 09/अ0नि0/श्री सिद्दीकी/2024–25, दिनांक 03 अप्रैल 2025 द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत डॉ शाहिद समी सिद्दीकी, प्रध्यापक, जन्तु विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम देहरादून में महाप्रबन्धक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अग्रेत्तर एक वर्ष के लिए यथावत् रखा जाता है।

Director
01/04/25
Sh. Naushad (H.ASS.)

Digitally signed by
HIRA SINGH
Date: 28-04-2025
15:03:37
(हीरा सिंह बसेड़ा)
उप सचिव।

संख्याः– 226 ( )/ XVII-B-1/2025-1036/2013,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

D.Dir
02/05/25

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 विभागीय मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके कार्यालय ज्ञाप संख्या 265/XXIV-C-4/2025-01(03)/2017(E-40345), दिनांक 05.03.2025 के क्रम में सूचनार्थ।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी नैनीताल।
6. समस्त कार्यालयध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड–द्वारा निदेशक।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
8. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक)।
9. डॉ शाहिद समी सिद्दीकी, महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(हीरा सिंह बसेड़ा)
उप सचिव।

File No. MWS/7/2013-XVII-B-1-Minority Welfare Department (Computer No. 47450)

60

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या 265/XXIV-C-4/2025-01(03)/2017(E-40345)
देहरादून दिनांक 05 मार्च, 2025

कार्यालय ज्ञाप

उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 923/XXIV-4-01(3)/2017 दिनांक 18 नवम्बर, 2022 के द्वारा डॉ0 शाहिद सईद सिद्दकी प्राध्यापक–जन्तु विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, रुद्रपुर को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में उप निदेशक के पद पर तैनात किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी।

विभागीय आवश्यकता/जनहित के दृष्टिगत उक्त कार्यालय ज्ञाप को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए डॉ0 शाहिद सईद सिद्दकी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल उच्च शिक्षा निदेशालय में कार्यभार ग्रहण कर कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(97)
AS Min

Signed by
Ranjit Kumar Sinha
Date: 04-03-2025 13:16:51
(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

17.1.26

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

संख्या एवं दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव–उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव– सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा–निदेशक उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा– निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा– निदेशक, अल्प संख्यक कल्याण विभाग को आदेश पालनार्थ।
8. गार्ड फाईल।

SO(Min)

18/03/25

✆0135-2780122
Email-ukdirectorminority@gmail.com

कार्यभार प्रमाणक

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–संख्या–269923/E-53489/20254 दिनांक 22 जनवरी, 2025 के अनुपालन में जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, वित्त अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून का अतिरिक्त पदभार दिनांक 22 जनवरी, 2025 के अपराह्न में ग्रहण किया गया।

मोचक अधिकारी

(भारत चन्द्र)

प्रतिहस्ताक्षरित,

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या– 948 /नि.अ.क./610–वित्त अधिकारी कार्यभार/2024–25 दिनांक 28 जनवरी, 2025
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड कौलागढ रोड, देहरादून।
2. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–6, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. उपनिदेशक/आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून।
7. उप–रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।
8. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
10. महाप्रबन्धक, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
11. अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान–ए–कलियर, हरिद्वार।
12. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधम सिंह नगर/नैनीताल।
13. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

(भारत चन्द्र)
वित्त अधिकारी।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या– 269923 / ई0–53489 / 2025
देहरादूनः दिनॉकः 22 जनवरी, 2025

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यहित में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 व 04 में अंकित विवरणानुसार प्रभार परिवर्तन करते हुए एतद्द्वारा स्तम्भ–05 के अनुसार तैनात किया जाता हैः–

क0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	आवंटित अतिरिक्त प्रभार	नवीन तैनाती
01	02	03	04	05
1.	श्री कैलाश चन्द्र तिवारी	मूल प्रभार– वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, उधमसिंहनगर।	वित्त अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, उधमसिंहनगर।	मूल प्रभार– वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, उधमसिंहनगर। अतिरिक्त प्रभार– वित्त अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, उधमसिंहनगर।
2	श्री शुभम तोमर	मूल प्रभार– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, आबकारी आयुक्त कार्यालय देहरादून अतिरिक्त प्रभार– वित्त अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।	वित्त अधिकारी, लोक सेवा अधिकरण, देहरादून एवं वित्त अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, देहरादून।	मूल प्रभार– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, आबकारी आयुक्त कार्यालय देहरादून अतिरिक्त प्रभार– वित्त अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून, वित्त अधिकारी, लोक सेवा अधिकरण, देहरादून एवं वित्त अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, देहरादून।
3	श्री आशीष कुमार खुदलानी	मूल प्रभार– वारिष्ठ वित्त अधिकारी, सैनिक कल्याण निदेशालय, देहरादून अतिरिक्त प्रभार– वित्त अधिकारी, उपनल, देहरादून एवं वित्त अधिकारी, जनजाति निदेशालय, देहरादून एवं वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0, देहरादून।	कोषाधिकारी, देहरादून।	मूल प्रभार– वारिष्ठ वित्त अधिकारी, सैनिक कल्याण निदेशालय, देहरादून अतिरिक्त प्रभार– वित्त अधिकारी, उपनल, देहरादून एवं वित्त अधिकारी, जनजाति निदेशालय, देहरादून एवं वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0, देहरादून एवं कोषाधिकारी, देहरादून।
				मूल प्रभार– वरिष्ठ वित्त

4	श्री भारत चन्द्र	मूल प्रभार– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, कारागार मुख्यालय, देहरादून। अतिरिक्त प्रभार– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, जी०एम० वी०एन०, देहरादून, नगर निगम देहरादून एवं वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड चारधाम।	वित्त अधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून।	अधिकारी, कारागार मुख्यालय, देहरादून। अतिरिक्त प्रभार– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, जी०एम० वी०एन०, देहरादून, नगर निगम देहरादून, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड चारधाम एवं वित्त अधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून।

2 – उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु पृथक से कोई वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

Signed by
Gajendra Singh Kaphalia
Date: 22-01-2025 11:29:07

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार (ऑडिट) एवं लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
उप सचिव।

69

☏0135-2780122
Email-ukdirectorminority@gmail.com

कार्यभार प्रमाणक

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–संख्या–228961/E-29743/2024 दिनांक 30 जुलाई, 2024 के अनुपालन में जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, वित अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून का अतिरिक्त पदभार दिनांक 05 अगस्त, 2024 के पूर्वाहन में ग्रहण किया गया।

मोचक अधिकारी

(पुलम सिंह चौहान) 0/c

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–402 /नि.अ.क./610–वित्त अधिकारी कार्यभार/2024–25 दिनांक 05 अगस्त, 2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड कौलागढ रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–6, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. उपनिदेशक/आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून।
7. उप–रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।
8. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
10. महाप्रबन्धक, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
11. अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान–ए–कलियर, हरिद्वार।
12. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधम सिंह नगर/नैनीताल।
13. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

5/8/24
(पुलम सिंह चौहान) o/c
वित्त अधिकारी।

1/228961/2024

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या: 228961 / ई– 29743 / 2024
देहरादून, दिनांक: 30 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 एवं 5 में अंकित विवरणानुसार प्रभार परिवर्तन करते हुये एतद्द्वारा स्तम्भ–06 के अनुसार तैनात किया जाता है –

क्र सं	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	अवमुक्त प्रभार	दिया जा रहा प्रभार	नवीन तैनाती
01	02	03	04	05	06
1.	श्री जगत सिंह चौहान	**मूल प्रभार**– अपर निदेशक, वित्तीय डाटा सेन्टर, देहरादून। **अतिरिक्त प्रभार**– निदेशक (वित्त), उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून एवं वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।	अपर निदेशक, वित्तीय डाटा सेन्टर, देहरादून। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद	–	**मूल प्रभार**– वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
2.	श्री रोमिल चौधरी	**मूल प्रभार**– मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार **अतिरिक्त प्रभार**– वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।	मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।	वित्त नियंत्रक, वन विकास निगम, देहरादून	**मूल प्रभार**– वित्त नियंत्रक, वन विकास निगम, देहरादून।
3.	श्री हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार	**मूल प्रभार**– वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा, देहरादून। **अतिरिक्त प्रभार**– वित्त अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देहरादून एवं वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, देहरादून एवं वित्त नियंत्रक, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।	वित्त नियंत्रक, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा, देहरादून	वित्त नियंत्रक, प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय, देहरादून, आईकेड, JICA परियोजना।	**मूल प्रभार**– वित्त नियंत्रक, प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय, देहरादून। **अतिरिक्त प्रभार**– वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, देहरादून, वित्त अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देहरादून, आईकेड JICA परियोजना।
4.	मो० तन्वीर अली	**मूल प्रभार**– उप सचिव, इरला, सचिवालय, देहरादून। **अतिरिक्त प्रभार**– वित्त नियंत्रक, स्मार्ट सिटी, देहरादून एवं वित्त नियंत्रक, REAP परियोजना (Rural Enterprise Acceleration Project) देहरादून, वित्त नियंत्रक, आई०टी०डी०ए०, देहरादून।	उप सचिव, इरला, सचिवालय, देहरादून।		**मूल प्रभार**– वित्त नियंत्रक, आई०टी०डी०ए०, देहरादून। **अतिरिक्त प्रभार**– वित्त नियंत्रक, स्मार्ट सिटी, देहरादून एवं वित्त नियंत्रक, REAP परियोजना (Rural Enterprise Acceleration Project) देहरादून।
5.	श्री लखेन्द्र गोथियाल	**मूल प्रभार**– मुख्य वित्त अधिकारी, [illegible]	–	–	**मूल प्रभार**– वित्त नियंत्रक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय [illegible]

(26)

I/228961/2024

		विंडल हल्द्वानी।			
13.	सुश्री एकता पंजवानी	मूल प्रभार– कोषाधिकारी चम्पावत। अतिरिक्त प्रभार– वित्त अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, चम्पावत।	कोषाधिकारी, चम्पावत एवं वित्त अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, चम्पावत।	उप निदेशक, विभागीय लेखा, देहरादून एवं वित्त अधिकारी, हिन्दी अकादमी, देहरादून	मूल प्रभार–उप निदेशक विभागीय लेखा, देहरादून। अतिरिक्त प्रभार– वित्त अधिकारी, हिन्दी अकादमी, देहरादून
14.	श्री अजय कुमार	मूल प्रभार– कोषाधिकारी कोटद्वार	कोषाधिकारी, कोटद्वार	वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वार।	मूल प्रभार–वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
15.	सुश्री दीपिका चौहान	मूल प्रभार– कोषाधिकारी नरेन्द्र नगर टि०ग० अतिरिक्त प्रभार– वित्त अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, नरेन्द्रनगर टि०ग०	कोषाधिकारी, नरेन्द्र नगर टि०ग० एवं वित्त अधिकारी प्राथमिक शिक्षा, नरेन्द्रनगर टि०ग०	वरिष्ठ वित्त अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।	मूल प्रभार–वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
16.	श्री आशीष कुमार सुदलानी	मूल प्रभार– वित्त अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली	वित्त अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	वरिष्ठ वित्त अधिकारी सैनिक कल्याण निदेशालय, देहरादून, वित्त अधिकारी उपनल, देहरादून।	मूल प्रभार– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सैनिक कल्याण निदेशालय, देहरादून। अतिरिक्त प्रभार– वित्त अधिकारी, उपनल, देहरादून।
17.	सुश्री विदुषी भट्ट	मूल प्रभार–कोषाधिकारी देहरादून	कोषा[redacted], देहरादून	वरिष्ठ वित्त अधिकारी पशुपालन निदेशालय, देहरादून।	मूल प्रभार–वरिष्ठ वित्त अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, देहरादून।
18.	श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी	मूल प्रभार–कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, चमोली।	कार्यालय जि[redacted] परियोजना अधिकारी, स[redacted] शिक्षा चमोली।	कोषाधिकार, पौड़ी एवं वित्त अधिकारी, गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल।	मूल प्रभार–कोषाधिकारी, पौड़ी। अतिरिक्त प्रभार– वित्त अधिकारी, गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल।
19.	श्री धर्मेन्द्र सिंह रावत	मूल प्रभार–कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, उत्तरकाशी।	कार्यालय जिला परिय[redacted] अधिकारी, समग्र शि[redacted] उत्तरकाशी।	वित्त अधिकारी औद्यानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल।	मूल प्रभार–वित्त अधिकारी औद्यानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल।
20.	श्री कैलाश चन्द्र तिवारी	मूल प्रभार–कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधमसिंहनगर।	कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, [illegible]	कोषाधिकारी, बागेश्वर एवं वित्त अधिकारी प्राथमिक शिक्षा, बागेश्वर एवं वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा बागेश्वर।	मूल प्रभार–कोषाधिकारी बागेश्वर। अतिरिक्त– वित्त अधिकारी, [illegible] शिक्षा, बागेश्वर एवं वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा बागेश्वर।
21.	श्री पुलग सिंह चौहान	मूल प्रभार–निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, देहरादून।	निदेशा[redacted] आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, देहरादन।	कोषाधिकारी, देहरादून एवं वित्त अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, देहरादून।	मूल प्रभार–कोषाधिकारी देहरादून। अतिरिक्त प्रभारी–वित्त अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, देहरादून।
22.	श्री खजान चन्द्र पाण्डे	मूल प्रभार–[illegible] ऑडिट प्रकोष्ठ। अतिरिक्त प्रभार–वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड स्टेट सेन्टर फोर पब्लिक पॉलिसी गुड गर्वनेंस नियोजन विभाग, वित्त नियंत्रक, प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय,	[illegible] जलवायु परिवर्तन निदेशालय, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, वित्त नियंत्रक, प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय, देहरादून, एवं JICA परियोजना।	–	मूल प्रभार–[illegible] ऑडिट प्रकोष्ठ। अतिरिक्त प्रभार–वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड स्टेट सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी गुड गर्वनेंस नियोजन विभाग, देहरादून।

आदेश

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण के आदेश संख्या–19/नि.अ.क./स्था–3/अधियाचन/2023–24 दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के द्वारा विभागान्तर्गत स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के फलस्वरूप कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती के स्वीकृत 11 पदों के सापेक्ष 07–रिक्त पदों पर नियमित अभ्यर्थियों का चयन होने पर वर्तमान में कनिष्ठ सहायक, सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर ऑउटसोर्स (उपनल एवं पी.आर.डी)/संविदा के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवाऐं स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा ऐसे कार्मिक स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेगें संबंधी आदेश निर्गत किये गये थे।

2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–262/11/E-3/DR/कनिष्ठ सहायक/2022–23 दिनांक 16 फरवरी, 2024 के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत रिक्त **"कनिष्ठ सहायकों"** वेतनक्रम ₹21700–69100 लेवल–3 के पदो पर नियुक्ति हेतु 07 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गयी है। अतः उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, हरिद्वार एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून एवं नैनीताल में कनिष्ठ सहायक के पदो पर ऑउटसोर्स (उपनल एवं पी.आर.डी)/संविदा के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवाऐं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के उपरोक्त पत्र से चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण तिथि से स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा ऐसे कार्मिक स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेगें।

Signed by Rajendra Kumar
Date: 11-06-2024 17:33:15

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक– 186 /नि.अ.क./स्था.–3/अधियाचन/2024–25 दिनांक 12 जून, 2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण नि.लि, गढी कैन्ट, देहरादून।
4. निदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल, देहरादून।
5. अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान–कलियर, हरिद्वार, को अनुपालनार्थ।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
7. गार्ड फाईल/पटल सहायक।

निदेशक।

आदेश

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण भवन में कार्यदायी संस्था परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून द्वारा नव–निर्मित पार्किंग एवं कार्यालयों हेतु विस्तारित कक्षों इत्यादि का निर्माण कार्य कार्यदयी संस्था से हस्तगत लेने हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है:–

क्र.सं.	नामित अधिकारी	पदनाम
1.	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड।	सदस्य
3.	वित्त अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड।	सदस्य
4.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून।	सदस्य

2. उक्तानुसार गठित समिति द्वारा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण भवन में नव–निर्मित पार्किंग एवं कार्यालयों हेतु विस्तारित कक्षों इत्यादि का निरीक्षण स्वीकृत आगणन के अनुसार करते हुए निर्माण कार्य को हस्तगत की कार्यवाही की जायेगी।

Digitally signed by
Rajendra Kumar
Date: 16-05-2025
17:46:02

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

निदेषालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 135 /नि.अ.क./अ0क0–भवन/ई–19608/2025–26 दिनांक 17 मई, 2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. उपरोक्तानुसार अधिकारीगण।
3. अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।

निदेशक।

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून की सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक 25 सितंबर 2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

<u>बैठक में उपस्थित अधिकारीगण/प्रतिनिधिः—</u>

1. सर्व श्री हीरा सिंह बसेड़ा, उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण।
2. श्री जे.एस.रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग/
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून।
4. श्री शेखर पटवा, सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
5. श्री संजय रावत, प्रतिनिधि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम।
5. श्री राजेन्द्र पंत, प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।
6. श्री विरेन्द्र, प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।
7. श्री सुनील ढौंढियाल, वरिष्ट प्र0अ0, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय।

बैठक का प्रारंभ करते हुए उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण भवन परिसर एवं यहां पर अवस्थित कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में उपस्थिति अधिकारियों/कर्मचारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया। बैठक में उपस्थित समस्त अधिष्ठानों/कार्यालयों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर यह मत स्थिर हुआ कि कल्याण भवन परिसर एवं यहां पर अवस्थित कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इस हेतु अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड एवं निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण स्तर से सभी अधिष्ठानों का कार्यालय—वार रोस्टर तैयार करते हुए दो शिफ्टों में सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक एवं दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक ड्यूटी दी जानी होगी। इस हेतु समस्त अधिष्ठानों का रोस्टर निदेशालय स्तर से तैयार किया जाएगा तद्नुसार ही समस्त अधिष्ठानों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों की ड्यूटी उक्त गार्ड रूम में सुरक्षा हेतु लगाई जाएगी। निकट भविष्य में उक्त ड्यूटी हेतु एक प्रवेश द्वारा पर ही एक गार्ड रूम के निर्माण की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिए भूमि भी उपलब्ध है। उक्त प्रस्ताव पर समस्त अधिष्ठानों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही समस्त अधिष्ठान, अल्पसंख्यक कल्याण भवन)

2. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो भवन के पिछली और जो पार्किंग बन रही है उसके चारों तरफ वाहनों के आने—जाने हेतु आन्तरिक मार्ग निर्माण की आवश्यकता होगी, जिससे समय—समय पर वाहनों को बैक करने की आवश्यकता न हो और जाम की समस्या भी न हो। इस हेतु निर्देश दिये गये कि आगामी 2025—26 का बजट तैयार करते समय उसमें उक्त भवन के विस्तार हेतु धनराशि का प्रावधान किए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कराया जाए।

(कार्यवाही निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण)

Signed by
Hira Singh
Date: 09-10-2024 17:22:35

(हीरा सिंह बसेड़ा)
उप निदेशक।

संख्या—623 /नि.अ.क./भवन/2024—25 दिनांक 14 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2024
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

2. समस्त कार्यालध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

उप निदेशक।

<u>स्थानान्तरण आदेश</u>

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून स्तर पर वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 24.06.2024 में की गयी संस्तुति एवं कु. पुष्पा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वेतनक्रम रू. 53100–167800 लेवल–9 निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा प्रस्तुत अपने विकल्प पत्र के आधार पर उन्हें एतद्द्वारा समान पद एवं वेतनमान में कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार में अनिवार्य स्थानान्तरण श्रेणी के अन्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है।

2. कु. पुष्पा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल स्थानान्तरित कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। कु. पुष्पा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, अपने पटल से संबंधित समस्त प्रभार श्री सुनील ढौंडियाल, प्रशासनिक अधिकारी को हस्तगत करायेंगी।

Signed by Rajendra Kumar
Date: 27-06-2024 17:23:00

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 248 /नि.अ.क./स्था.–3/ई–18964/2024–25 दिनांक 28 जून, 2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित अधिकारी।
6. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाईल।

निदेशक।

76854/2024

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 की धारा 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाना है। अतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में अनिवार्य/स्वयं के अनुरोध/प्रशासनिक आधार/जनहित में होने वाले स्थानान्तरण के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु स्थानान्तरण समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्र.सं.	पदनाम	विभाग	स्थानान्तरण समिति 2024
1.	निदेशक	निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।	अध्यक्ष।
2.	उप निदेशक	निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य
3.	वित्त अधिकारी	निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य।
4.	उप-रजिस्ट्रार	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद	सदस्य।

2. उपरोक्तानुसार विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक के संबंध में पृथक से सूचना प्रेषित की जायेगी।

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 60 /नि.अ.क./स्था-3/2024-25 दिनांक 27 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. उपरोक्तानुसार अधिकारीगण।

निदेशक।

खण्ड–3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित हैं।

1. पूर्वदशम छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत राज्य सहायतित):–

अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा–1 से 10 तक के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की योजना वर्ष 1995–96 से प्रारम्भ की गयी है, जिसके अंतर्गत इस समुदाय के ऐसे सभी छात्रों जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दोगुना से अधिक नहीं हो, को छात्रवृति दिये जाने की व्यवस्था है।

वर्ग	छात्रवृत्ति के मानक			अवधि (अधिकतम)
अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति	कक्षा	दर प्रतिमाह	माता–पिता की आय सीमा	
	1–5	रु. 50/	गरीबी की रेखा के दुगनी आय तक वार्षिक आय	12 माह
	6–8	रु. 80/		12 माह
	9–10	रु. 120/		12 माह

वित्तीय वर्ष 2015–16 से यह योजना पूर्णतः आनलाईन संचालित की जा रही है।

क्रम सं0	वर्ष	कुल छात्र संख्या	अवमुक्त धनराशि (रू0लाख में)
1.	2020-21	337	0.027
2.	2021-22	49	0.048
3.	2022-23	517	2.19
4.	2023-24	270	3.25
5.	2024-25	786	5.74 (533 नवीन एवं 41 रिन्यूवल छात्र–छात्राओं का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा चुका है।)

छात्र/छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा।

2 अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृति योजना (100% के0स0):–

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ सहायतित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नई अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अभिभावकों की आय `100लाख से कम होना तथा छात्र/छात्रा का 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 से योजना 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायतित है। भारत सरकार द्वारा राज्य का लक्ष्य 21874 निर्धारित किया गया है।

छात्रवृत्ति की दरें

क्रस	मद	हॉस्टलवासी	दिवास्कॉलर
1	कक्षा 6 से 10 के लिए प्रवेश शुल्क	वास्तविक या रु. 500 प्रतिवर्ष	वास्तविक या रु. 500 प्रतिवर्ष
2	कक्षा 6 से 10 के लिए शिक्षण शुल्क	वास्तविक या रु. 350 प्रतिमाह	वास्तविक या रु. 350 प्रतिमाह
3	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा।		
	(i) कक्षा 1 से 5	शून्य	रु. 100 प्रतिमाह
	(ii) कक्षा 6 से 10	वास्तविक या `600 प्रतिमाह	रु. 100 प्रतिमाह

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के गठन के पश्चात् योजना के अन्तर्गत वितरित की गयी धनराशि एवं लाभान्वित छात्र/छात्राओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष		अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति		
		लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि (रु. करोड़ में)
2020-21	100%CSS	21874	18409	7.34
2021-22		21874	21812	10.48
2022-23		21874	3265	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति वितरण का कार्य गतिमान।

भारत सरकार स्तर से वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनान्तर्गत पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत मात्र कक्षा 9 एवं 10वीं में अध्यनरत् छात्र/छात्राओं को ही लाभान्वित किया जाने का निर्णय लिया गया है। छत्रवृत्ति की धनराशि डीबीटी के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा जानी है।

3 अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100% के0स0):-

भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति का प्रारम्भ वर्ष 2007 से अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की कुल आय रुपये 250 लाख (वार्षिक) से अधिक न हों एवं जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के प्राविधिक एवं व्यवसायिक कोर्स में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, के लिये किया गया है। छात्र/छात्रा का 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किया जाना आवश्यक है। छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भारत सरकार स्तर से किया जा रहा है।

छात्रवृत्ति की दरें

क्रस	वित्तीय सहायता का प्रकार	हॉस्टलर दर	दिवा स्कालर दर
1	भरण-पोषण भत्ता (केवल 10 माह के लिए)	रु.10,000/- प्रतिवर्ष (रु.1000 प्रतिमाह)	रु. 5,000/- प्रतिवर्ष (रू0 500 प्रतिमाह)
2	पाठ्यक्रम शुल्क	रु. 20,000/-प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो	रु. 20,000/-प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो
कुल		रु. 30,000/-	रु. 25,000/-

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के गठन के पश्चात् योजना के अन्तर्गत वितरित की गयी धनराशि एवं लाभान्वित छात्र/छात्राओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	अल्पसंख्यक मेंरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति		
	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि (रु. करोड़ में)
2020-21	438	492	1.39
2021-22	438	658	1.69
2022-23	438	709	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति वितरण का कार्य गतिमान।
2023-24	438	-	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति पोर्टल को अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है।
2024-25	438	-	

लक्ष्य प्राप्ति फ्रैश एवं रिन्यूवल सम्मिलित।

भारत सरकार स्तर से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि डीबीटी के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

4 अल्पसंख्यक छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100% के0स0):-

भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति का प्रारम्भ वर्ष 2007 से अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राऐं, जिनके अभिभावकों की कुल वार्षिक आय रू0 200 लाख से अधिक न हो, एवं जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान से कक्षा 11 से पी0एच0डी0 स्तर तक की शिक्षा तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, को शतप्रतिशत भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भारत सरकार स्तर से किया जा रहा है।

छात्रवृत्ति की दरें

क्र सं	मद	हॉस्टलवासी	दिवास्कॉलर
1	कक्षा 11 और 12 कक्षा के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क	वास्तविक, अधिकतम रु. 7,000 प्रतिवर्ष	वास्तविक, अधिकतम रु. 7,000 प्रतिवर्ष
2	कक्षा 11 और 12 के स्तर के तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला एवं पाठ्यक्रम/ शिक्षण शुल्क (कच्चे माल आदि के लिए लिया गया शुल्क/प्रभार सहित)	वास्तविक, अधिकतम रु. 10,000 प्रतिवर्ष	वास्तविक, अधिकतम रु. 10,000 प्रतिवर्ष
3	अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क	वास्तविक, अधिकतम रु. 3,000 प्रतिवर्ष	वास्तविक, अधिकतम रु. 3,000 प्रतिवर्ष
4	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि के लिए खर्च शामिल है)		
	(i) कक्षा 11 और 12 और इस स्तर के तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित	रु. 380 प्रतिमास	रु. 230 प्रतिमास
	(i) अंडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम।	रु. 570 प्रतिमास	रु. 300 प्रतिमास

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के गठन के पश्चात् योजना के अन्तर्गत वितरित की गयी धनराशि एवं लाभान्वित छात्र/छात्राओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति		
	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि रु. करोड़ में)
2020-21	3646	4604	3.35
2021-22	3646	5296	3.85
2022-23	3646	5930	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति वितरण का कार्य गतिमान।
2023-24	3646	-	
2024-25	3646	-	

लक्ष्य प्राप्ति फैस एवं रिन्यूवल सम्मिलित।

भारत सरकार स्तर से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि डीबीटी के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

5 प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना (पूर्व नाम एमएसडीपी) (90% के0स0) (PMJVK)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक दशाओं में सुधार लाना और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है। पीएमजेविके योजना के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाएं आय सृजक अवसरों को पैदा करने की योजनाओं के अलावा शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के मकान, सड़के, पेयजल हेतु बेहतर अवसंरचना की व्यवस्था करने से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम की नयी गाईडलाईन के अनुसार योजना राज्य के समस्त जनपदों के ऐसे क्षेत्रों जहां 05 किमी परिधि के जलग्रहण क्षेत्र में 25 प्रतिशत या उससे अधिक

अल्पसंख्यक आबादी निवास करती हो, में लागू होगी एवं सक्षम अधिकारी द्वारा तत्संबंधी प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में रु. 2300 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष रु. 6396 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। योजनान्तर्गत वर्तमान में निम्नानुसार कार्य निर्माणाधीन हैं:–

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु विधान सभा क्षेत्रवार विवरण		
क्र0सं0	योजना /परियोजना/ कार्य का विवरण	योजना/परियोजना/ कार्य की स्वीकृति /लागत धनराशि (रु लाख में)
1	जनपद देहरादून के डी0एल0 रोड़–1 में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर (बुद्धिष्ट) कम्यूनिटी, बहुउद्देशीय हॉल एवं पुस्तकालय के निर्माण कार्य।	348.19
2	जनपद देहरादून के लखनवाला विकासनगर में (बुद्धिष्ट) कम्यूनिटी, बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कार्य।	656.79
3	जनपद देहरादून के 40 बुद्ध विहार, डी0एल0 रोड़–2 में शैक्षिणक एवं क्रीडा हॉल का निर्माण कार्य।	508.64
4	जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के राजकीय डिग्री कॉलेज, डाकपत्थर में वाणिज्य ब्लॉक का निर्माण कार्य।	1340
5	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल ब्लॉक–1 हयूमैनिटिज़ एण्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मीडिया स्ट्डीज का निर्माण।	922.14
6	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल ब्लॉक–2 स्कूल ऑफ सोशियल एण्ड स्कूल ऑफ लॉ का निर्माण।	922.14
7	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल ब्लॉक–3 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्डीज एण्ड स्कूल ऑफ हैल्थ साइंस का निर्माण।	922.14
8	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल ब्लॉक–4 स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साइंस एण्ड आई0टी0 एण्ड स्कूल ऑफ वोकेजनल स्ट्डीज का निर्माण।	922.14
9	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल ब्लॉक–5 स्कूल ऑफ ऐजुकेशन एण्ड स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉरमेशन साइंस का निर्माण।	922.14
10	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल स्कूल ऑफ हास्पिटलिटी एण्ड टूरिज्म स्ट्डीज एण्ड स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड डेवलपमेंट स्ट्डीज का निर्माण।	922.14

11	राजकीय पॉलिटेक्निक पन्तनगर मे अतिरिक्त भवन का निर्माण।	1363.22
12	राजकीय पॉलीटेक्निक काशीपुर, ऊधमसिंहनगर में फार्मेसी भवन का निर्माण कार्य।	
13	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर ऊधमसिंहनगर में विज्ञान एवं वाणिज्य ब्लॉक का निर्माण	1927.89
	योग	11677.57

6 अल्पसंख्यक विकास निधि योजनाः–

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उनकी मॉग के अनुरूप अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध कराने, आर्थिक/शैक्षिक विकास करने हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष रु. 400 करोड की धनराशि आवंटित किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत रु. 500 करोड की धनराशि से मुख्य रूप से मदरसों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, फर्नीचर तथा ईदगाह की चाहर–दिवारी, आदि मदों में प्राविधानित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत रु. 39084 लाख के प्रस्तावों पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

धनराशि लाख रु. में

अल्पसंख्यक विकास निधि	प्राविधान	व्यय धनराशि
2020-21	300.00	300.00
2021-22	300.00	293.43
2022-23	500.00	390.84
2023-24	500.00	479.44
2024-25	500.00	500.00

7 अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदानः–

अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विशेष अनुदान दिये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से नयी योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत मेधावी बालिकाओं को निम्नप्रकार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगीः–

परीक्षा का स्तर	60 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताकों पर देय धनराशि रु.	70 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताकों पर देय धनराशि रु.	80 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताकों पर देय धनराशि रु.
हाई स्कूल या मुंशी या मौलवी	रु. 10000.00	रु. 15000.00	रु. 20000.00
इण्टरमीडिएट	रु. 15000.00	रु. 20000.00	रु. 25000.00

धनराशि लाख रु. में

मुख्यमंत्री बालिका	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित

प्रोत्साहन योजना			
2020-21	214.65	213.60	1381
2021-22	200.00	196.95	978
2022-23	300.00	183.25	1189
2023-24	360.40	294.85	2246
2024-25	382.65	381.95	2370

8 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सी0सी0 मार्ग का निर्माण, बारात घर, पेयजल सुविधा, धार्मिक स्थलों पर अवस्थापना संबंधी कार्यो आदि के लिए कार्य उक्त योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जाती हैं।

धनराशि लाख रु. में

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य	प्राविधान	व्यय धनराशि/ अवमुक्त	योजनाऐं
2020-21	500.00	494.05	85
2021-22	300.00		
2022-23	300.000	299.34	20
2023-24	300.00	300.00	10
2024-25	500.00	497.020	31

9 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनाः–

उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो के लिए सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है, जिसमें निम्न प्रकार अनुदान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था हैं:–

1 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु :–

1 प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु रु. 75000/मात्र।

2 मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रु. 25000/– मात्र।

2 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा हेतु :–

उक्त परिक्षाओं में सफल होने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियो को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी:–

1 प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त रु. 60,000/–मात्र।

2 मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रु. 20,000/– मात्र।

3 राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि

समूह (क)–इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान/परीक्षाऐं सम्मिलित है :–

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान (आईआईटी)

(दो) अखिल भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आईआईएम)

उक्त संस्थानों/परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि रु. 60,000 मात्र।

समूह (ख)–इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान/परीक्षाऐं सम्मिलित है :–

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
(तीन) भारतीय विज्ञान एवं प्रायोगिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता एवं बंगलौर
(चार) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज
(पांच) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एवं (एनआईटी) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान
(छः) अखिल भारतीय विधिक परिषद द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं (क्लैट) हेतु।

उपर्युक्त संस्थानों/परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि रु. 50,000 मात्र।

धनराशि लाख रु. **में**

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2020-21	10.00	0.20	01
2021-22	10.00	0.30	01
2022-23	10.00	7.80	15
2023-24	10.00	5.80	10
2024-25	10.00	6.15	12

11 आवर्तक अनुदान सूची पर चल रहे मदरसों को वेतन हेतु अनुदानः–

इस योजनान्तर्गत उन मदरसों, जिन्हें आवर्तक अनुदान सूची के अंतर्गत लिया गया है, में कार्यरत अधिकतम 15 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में राज्य के अंतर्गत मदरसा अरबिया रहमानिया, रुड़की (हरिद्वार) में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत रु. 53.80 लाख की धनराशि जारी की गयी है, जिसके सापेक्ष माह मार्च, 2025 तक रु. 51.55727 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

12 मदरसों का आधुनिकीकरण योजनाः–

इस योजनान्तर्गत मान्यताप्राप्त ऐसे मदरसें जिनको पठन–पाठ्न कार्यो के उचित संचालन हेतु पाठ्य सामग्री यथा कम्प्यूटर, डेस्क–बेंच, इर्न्वटर, पंखे, बोर्ड, वाटर कूलर, जनरेटर आदि की आवश्यकता हो उन मदरसों को अनुदान के रूप में सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

धनराशि लाख रु. **में**

मदरसा आधुनिकीकरण योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2021-22	100.00	100.00	35
2022-23	200.00	104.68	13
2023-24	200.00	133.95	17
2024-25	200.00	71.69919	13

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।		
1.	स्व रोजगार योजना "अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु"	स्वरोजगार के लिए अनुदान की व्यवस्था है। रू0 1 लाख से 10 लाख तक का ऋण लिये जाने पर, ऋण का 25 प्रतिशत धनराशि का अनुदान। न्यूनतम 25 हजार एवं अधिकतम 2,50,000/- है। योजना का लाभ ऋण लेने पर ही मिलेगा, जिसमें 60 प्रतिशत ऋण लेना होगा तथा 25 प्रतिशत विभाग द्वारा अनुदान/सब्सिडी दी जाती है तथा 15 प्रतिशत अंशदान आवेदक के पास होना चाहिए। ऋण पर ब्याज बैंक में वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार लगेगा।	आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का हो तथा उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी हो, आयु कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष के मध्य हो, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू 2,50,000/- से अधिक नहीं हो अथवा बीपीएल परिवार का सदस्य हो।	लाभार्थी का चयन करने हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है। उसके उपरांत आवेदन फॉर्म प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी) के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन फार्म के साथ निर्धारित आय प्रमाण पत्र/बीपीएल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता एवं अविधित योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर आवेदन पत्र भरकर सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करेगा। तत्पश्चात जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है, साक्षात्कार में सफल आवेदकों के आवेदन पत्र, बैंक ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदक के बैंक को प्रेषित किया जाता है। बैंक स्वीकृति उपरान्त जनपदीय कार्यालय द्वारा आवदेन पत्र समस्त औपचारिकता पूर्ण करते हुये अनुदान की 25 प्रतिशत राशि अवमुक्त किये जाने हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है, निगम मुख्यालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति उपरान्त अनुदान की धनराशि जनपदीय कार्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। तत्पश्चात जनपदीय कार्यालय द्वारा लाभार्थी से लाभार्थी अंश की 15 प्रतिशत धनराशि प्राप्त करते हुये, 40 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित बैंक को प्रेषित कर दी जाती है। जिसके उपरान्त सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदक को ऋण अवमुक्त कर दिया जाता है। वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन है तथां ऑनलाइन की प्रक्रिया गतिमान है।
2.	मुख्यमंत्री हुनर योजना	इस योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण ही दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के दौरान मानदेय भुगतान भी किया जाता है। रू. 2000/- प्रशिक्षण अवधि 100 घंटे होने पर, रू. 2500/- प्रशिक्षण अवधि 150 घंटे होने पर, रू. 4000/- प्रशिक्षण अवधि 250	अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे महिला/पुरूष जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों, आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। शैक्षिक योग्यता पारम्परिक प्रशिक्षण यथा सिलाई कढाई, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक, बुनाई, आदि हेतु न्यूनतम पांचवी/साक्षर होना चाहिये। शिक्षा राजकीय स्कूल	उक्त योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, उसके उपरांत आवेदक, आवेदन फार्म अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करके आवेदन उक्त कार्यालय में जमा करना होगा। उसके उपरांत जनपद स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		घंटे होने पर, रू. 4500/– प्रशिक्षण अवधि 300 घंटे होने पर, प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान किया जाता है। विभाग, प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से देती है तथा प्रशिक्षण में उपस्थिति के अनुसार मानदेय दिया जाता है। उपस्थिति 90 प्रतिशत होनी अनिवार्य है।	अथवा मदरसों से हो, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षणों में कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/नेटवर्किंग/एकाउन्टिंग इत्यादि व्यवसायों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 3,50,000 एवं शहरी क्षेत्र रू. 4,50,000 होनी चाहिये।	द्वारा, आवेदक को साक्षात्कार हेतु बुलाकर चयन किया जाता है, आवेदक को उस समय भी सभी दस्तावेजों की मूल प्रति लानी होगी। चयन के उपरांत संबंधित संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आयोजित कराये जाते है। यदि किसी को प्रशिक्षण प्राप्त करना हो तो आवेदक, विज्ञापन पूर्व भी प्रार्थना पत्र अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा कर सकता है ताकि प्रशिक्षण शुरू होने पर संज्ञान में लिया जाये।
3.	**मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना**	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु रू0 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण का लाभ दिया जाता है।	अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र–छात्राएं जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों, आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो, 12वीं उत्तीर्ण हो तथा वह जिस विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान में अध्ययन कर रहा हो/दाखिला लिया हो, वह केन्द्र/ राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 2,50,000 होनी चाहिये। ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थी को शिक्षा पूर्ण करने के 6 माह/सेवायोजित के उपरांत अगले 3 वर्षो में ऋण की वापसी करनी होगी।	आवेदन पत्र जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर, जनपदीय कार्यालय में दिनांक 31 अगस्त तक जमा किया जाता है तथा आवेदन वर्तमान में ऑफलाईन होता है। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का कलर फोटो, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, जन्मप्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट, कॉलेज/संस्थान में एडमिशन प्रमाण पत्र, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज आईडी, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, इस आशय का शपथ पत्र कि ऋण योजना का लाभ प्रथम बार लिया जा रहा है। 02 गारंटर के वेतन/आय संबंधी प्रमाण पत्र, गारंटरों के पैन कार्ड, फोटो, आधार, राशन कार्ड, हैसियत प्रमाण–पत्र रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। तत्पश्चात जनपदीय कार्यालय द्वारा उक्त आवेदन 15 सितम्बर तक निगम मुख्यालय को प्रेषित किये जाते है। उसके उपरांत उत्तराखण्ड शासन में गठित चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं, जिन्हे ऋण चयन समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है एवं ऋण की स्वीकृत धनराशि अभ्यर्थी की मांग के अनुरूप सम्बन्धित जनपद के खाते में हस्तान्तरित कर दी जाती है। जनपदीय कार्यालय द्वारा सम्बन्धित आवेदक को धनराशि खाते में दी जाती है। वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट सीमा के अंतर्गत ही प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं अन्य प्रस्ताव स्वतः निरस्त समझे जाते हैं।

निदेशालय उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
4.	**अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)**	दाखिला एवं शिक्षण हेतु निम्नवत छात्रवृत्ति, प्रतिवर्ष (हास्टलवासी/दिबास्कॉलर) को दी जाती है – कक्षा 11वीं व 12वीं हेतु– अधिकतम रू. 7000/– कक्षा 11वीं व 12वीं के समकक्ष तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु– अधिकतम रू. 10,000/– अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट हेतु– अधिकतम रू. 3,000/–. एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि हेतु) प्रतिमाह दी जाती है :– कक्षा 11वीं व 12वीं तथा समकक्ष तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित (हास्टलवासी–380/–रू. दिवास्कॉलर–230/–रू.) अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम। (हास्टलवासी–570/–रू. /दिवास्कॉलर–300/–रू.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राऐं, जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे। अभिभावक की सभी स्रातों से वार्षिक 2 लाख से अधिक न हो।	अल्पसंख्यक समुदाय के 11वीं, 12वीं/समकक्ष कक्षाओं में अध्ययनरत तथा अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP2.0) से www. scholarships.gov.in में कभी भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान छात्र/छात्रा की बेसिक जानकारी यथा नाम, माता–पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता आदि पूछी जाती है। पंजीकरण के उपरांत आईडी, पासवर्ड जनरेट होता है। छात्रवृत्ति हेतु विभाग द्वारा अखबारों में/उक्त पोर्टल पर, विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। तत्समय संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा पोर्टल की पंजीकृत आईडी, पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर अथवा पंजीकरण न किया हो तो पंजीकरण कर, आवेदन करना होता है तथा आवेदन के दौरान स्कूल/संस्थान का चयन करना होता है। आवेदन के दौरान छात्र/छात्रा को **शैक्षिक प्रमाण पत्र जो संबंधित छात्रवृत्तियों हेतु अनिवार्य हों,** आधार कार्ड, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय का स्वघोषित प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आदि अपलोड करके ऑनलाइन जमा करना होता है। साथ ही स्कूल/संस्थान में भी ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि स्कूल/संस्थान जांच कर सके। आवेदन के उपरांत आवेदक का आवेदन पत्र, स्कूल के नोडल अधिकारी के पास आ जाता है। संबंधित INO (Institute Nodal Officer) Verify कर आवेदन–पत्रों को SNO(State Nodal Officer) को अग्रसारित करता है तथा SNO द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों को Random verify (2% Only) करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसारित किया जाता है। आवेदक के सभी दस्तावेज/पात्रता सही पाये जाने पर, भारत सरकार द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को डी0बी0डी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्रा के खाते में भुगतान किया जाता है।
5.	**अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना, 100% केन्द्र पोषित)**	छात्र/छात्राओं को स्नातक/परास्नातक के समकक्ष तकनीकी/ व्यावसायिक कोर्स हेतु निम्नवत **छात्रवृत्ति** दी जाती है – **भरण–पोषण भत्ता** (केवल 10 माह के लिए/ प्रतिवर्ष) – हॉस्टलवासी रू. 10,000/– दिवास्कालर रू. 5,000/– **पाठ्यक्रम शुल्क** – हॉस्टलवासी रू. 20,000/– दिवास्कालर रू. 20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राऐं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में **स्नातक/परास्नातक के समकक्ष तकनीकी/ व्यावसायिक कोर्स** के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे। छात्र/छात्रा के अभिभावक	

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
			की सभी स्त्रातों से वार्षिक आय दो लाख पचास हजार से अधिक न हो।	
6.	**अल्पसंख्यक कक्षा 9 से 10 तक प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)**	कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु (हॉस्टलवासी / दिवास्कॉलर) छात्र / छात्राओं को प्रतिवर्ष निम्नवत **छात्रवृत्ति** दी जाती है – प्रवेश शुल्क रू 500 / – शिक्षण शुल्क रू. 350 / – एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा।	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राऐं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी / गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे। छात्र / छात्रा के अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो।	
7.	**अल्प संख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना**	राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कक्षा 01 से 10 तक, प्रतिमाह निम्नवत **छात्रवृत्ति** दी जाती है – कक्षा 01 से 5 तक– 50 रू. कक्षा 06 से 8 तक–80 रू.कक्षा 9 से 10 तक–120 रू.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राऐं जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी / गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों, पात्र होंगे।	
8.	**मुख्यमंत्री अल्प संख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना**	अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को निम्न प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है :– **हाईस्कूल / मुंशी / मौलवी–** 60% या अधिक प्राप्तांक पर रू0 10,000 / – 70 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 15,000 / – 80 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 20,000 / – **इण्टरमीडिएट / आलिम–** 60 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 15,000 / – 70 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 20,000 / –	अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राऐं पात्र होंगी जो – उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / मदरसा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी / मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 % या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों। माता / पिता / अभिभावक, गरीबी रेखा के नीचे आते हों अथवा उनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन–पत्रों को भरे जाने हेतु विज्ञापन (प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक, सामान्य रूप से) प्रकाशित किया जाता है तथा वर्तमान में आवेदन ऑफलाइन किये जाते हैं। आवेदन फार्म विभागीय कार्यालय से तथा विभागीय वेबसाइट www.minoritywelfare.uk.gov.in से प्राप्त करने के उपरांत निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे – अल्पसंख्यक होने का स्वघोषित प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित होने एवं परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ मिला हो या मिलेगा, का शपथ पत्र, बैंक खाता जो आधार लिंक / सीड हो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आदि, फार्म के साथ लगाने के बाद विकास खण्ड कार्यालय / जिला कार्यालय में जमा करना होगा तथा विकास खण्ड कार्यालय द्वारा जिले में भेजे जाते हैं एवं जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्तुत कर निदेशालय से मांग की जाती है। निदेशालय स्तर से प्रस्ताव

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		80 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 25,000/–	81,000/– तथा शहरी में रू. 1,03,000/– से कम हो। छात्राएं अविवाहित हों तथा आयु 20 वर्ष से अधिक न हो। एक दम्पति की अधिकतम 2 पुत्रियों को ही इसका लाभ मिलेगा।	शासन को प्रेषित किया जाता है। बजट प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर से जनपदों को मॉग के अनुसार बजट धनराशि दी जाती है तथा जिले से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि भुगतान की जाती है। जिस वर्ष हाईस्कूल/ इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास की है उसी वर्ष इसका लाभ मिलेगा तथा उसी वर्ष आवेदन करना अनिवार्य होगा। लाभार्थियों का चयन बजट की उपलब्धता पर होता है।
9.	**मुख्यमंत्री अल्प संख्यक प्रोत्साहन योजना**	अल्पसंख्यक समुदाय अभ्यर्थियों को तैयारी हेतु निम्नवत प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है :– **संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु :–** प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु रू. 75000/– मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू. 25000/– **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा हेतु –** प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त रू. 60,000/– मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू. 20,000/– **राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि समूह (क)**–IITs & IIMs की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश	अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलम 3 में अंकित अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी हो, जिनके माता–पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये, यदि है तो) रू0 4.50 लाख रूपये से अधिक न हो। अभ्यर्थी द्वारा संबंधित संस्थानों की संगत परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा सफल होने का मूल आवेदन पत्र/प्रमाण पत्र सक्षम प्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही प्राविधानित अनुदान राशि देय होगी।	आवेदक, आवेदन प्रारूप निदेशालय/जिला अल्पसंख्यक कार्यालय से ले सकते हैं अथवा वेबसाइट www.minoritywelfare.uk.gov.in से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग/संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफल होने के 30 दिन के भीतर तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने के बाद संबंधित संस्थान में प्रवेश लेने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। वर्तमान में आफलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्वघोषित अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र, स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, निर्धारित आय का वैध प्रमाण पत्र, संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा परीक्षा में सफल होने का प्रमाण, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो, आधार कार्ड, शपथ पत्र (कि यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की है तथा संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का यह उसका कौन सा (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) प्रयास है। राजकीय सेवा में होने अथवा नहीं होने का विवरण भी देना होगा) आदि सत्यापित कर, फार्म भरकर, परीक्षा परिणाम जारी होने के 01 माह के भीतर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। जहां पर सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच की जाती है, जिस हेतु अभ्यर्थी को बुलाया जा सकता है। जांच में सही पाये जाने/पात्रता सही होने पर जिला स्तर से सभी आवेदन पत्र बजट मांग हेतु निदेशालय एवं निदेशालय स्तर से संकलित मांग का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से निदेशालय को बजट प्राप्त होने पर, निदेशालय द्वारा जनपदों को मॉग के अनुसार बजट धनराशि दी जाती है, उसके उपरांत जनपदों द्वारा धनराशि सीधे अभ्यर्थी के खाते में भुगतान की जाती है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		लेने के उपरान्त रू0 60,000/– समूह (ख)– AIIMS, IIS बंगलौर, IISAR (कोलकाता एवं बंगलौर), MCI भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज, AICTE (All India Council for Technical Education) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एवं (NITs) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, BCI(Bar Council of India) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं CLAT (Common Law Admission Test) हेतु। उपर्युक्त संस्थानों/परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त रू. 50,000/– दिये जाते हैं।		यदि अभ्यर्थी एक ही वित्तीय वर्ष में दो या अधिक परीक्षाओं में उतीर्ण होता है, तो उसे एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। यह अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा कि वह किस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है।

नोट– अल्पसंख्यक वर्ग – (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन समुदाय के व्यक्ति/लाभार्थी)

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

संख्या : 183 /XVII-3/2016–07(37)/2013

प्रेषक,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक : 15 फरवरी, 2016

विषयः प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना" को क्रियान्वित किए जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष एवं शैक्षणिक सत्र 2015–16 से निम्नलिखित मार्गदर्शक निर्देशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा :–

1. उपरोक्त योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विशेष अनुदान के रूप में निम्नवत धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी :–

परीक्षा का स्तर	60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांकों पर देय धनराशि रु0 में	70 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांकों पर देय धनराशि रु0 में	80 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांकों पर देय धनराशि रु0 में
हाई स्कूल या मुंशी या मौलवी	10,000	15,000	20,000
इण्टरमीडिएट या आलिम	15,000	20,000	25,000

2. योजना के संचालन/क्रियान्वयन हेतु मेधावी बालिकाओं का चयन करके पात्र अभ्यर्थियों के अनुदान की स्वीकृति हेतु प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत किया जाएगा :–

क्रमशः......

Minority/Letter 2016-17 ASR

D.Dir.
Director
17/2/16
Mr. Dhoundiyal
D-Dir
D.Dir.
17/2/16

80

1. जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य सचिव

3. उक्त योजना के अन्तर्गत मेधावी छात्राओं की पात्रता की मुख्य शर्तें निम्नवत होंगी:–

1. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राऐं पात्र होंगी, जिन्होंने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद, रामनगर / उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय / कालेज / मान्यता प्राप्त मदरसा से हाई स्कूल / मुंशी / मौलवी एवं इण्टरमीडिएट / आलिम परीक्षा संस्थागत छात्रा के रूप में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो।
2. छात्रा के माता–पिता / अभिभावक गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हो अथवा उनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 81,000 / – (रु0 इक्यासी हजार मात्र) तथा शहरी क्षेत्र में रु0 1,03,000 / – (रु0 एक लाख तीन हजार मात्र) से कम हो। अग्रेतर यह भी कि उक्त आय सीमा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलायी गयी छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप होगी।
3. आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी, जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो, के द्वारा प्रदत्त ही मान्य होगा, जिसे आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।
4. योजना के अन्तर्गत संस्थागत अविवाहित छात्राएं पात्र होंगी, जिनकी आयु अनुदान स्वीकृत होने के वर्ष 01 जुलाई को 20 वर्ष से अधिक न हो।
5. छात्रा अल्पसंख्यक समुदाय की होनी चाहिए जिस हेतु छात्रा को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
6. योजना के अन्तर्गत समिति द्वारा चयनित प्रत्येक छात्रा को उक्त प्रस्तर 1 पर अंकित तालिका के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। पात्र छात्रा को प्रोत्साहन की धनराशि बैंक खाते में ऑनलाइन हस्तान्तरित की जाऐगी।
7. योजना का लाभ मेरिट सूची के आधार पर दिया जायेगा अर्थात प्राप्त आवेदनपत्रों में से पात्रता की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली छात्राओं की प्रवीणता सूची (मेरिट सूची) तैयार की जायेगी। योजना का लाभ उपलब्ध बजट धनराशि के सापेक्ष उसी वित्तीय वर्ष में दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अवशेष आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. पुरस्कार हेतु मेधावी छात्राओं का चयन प्रवीणता सूची के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने के आधार पर "पहले आओ–पहले पाओ" नीति से उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

क्रमशः

9. पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं होगी।

10. एक दम्पत्ति की अधिकतम दो पुत्रियों को ही इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

4. छात्रा द्वारा जिस वित्तीय वर्ष में हाई स्कूल/मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट/आलिम की परीक्षा पास की हो, उसी वित्तीय वर्ष में अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित होने की दशा में भी इस योजना का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को अनुमन्य होगा।

5. हाईस्कूल परीक्षा/मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट आलिम परीक्षा में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक उत्तीर्ण बालिकाओं के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जायेंगे। राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर विज्ञापनों का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्रदेश में प्रकाशित होने वाले दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की जायेगी। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा पात्र बालिकाओं का चयन तथा चयनित सूंची का प्रकाशन 30 सितम्बर तक कर लिया जायेगा तथा भुगतान की प्रकिया 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर लीं जायेगी।

6. मेधावी छात्राओं के प्रोत्साहन से लाभान्वित करने की दृष्टि से प्रत्येक जनपद में हाईस्कूल, मुंशी/ मौलवी, इण्टरमीडिएट व आलिम के उच्चतम अंक प्राप्तकर्ता मेधावी अल्पसंख्यक छात्राओं को अर्थात इस प्रकार कुल 13 जनपद X 4 छात्राओं = 52 छात्राओं को प्रदेश स्तर पर समारोह आयोजन कर मा. मुख्यमंत्री जी अथवा मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी के हाथों पुरस्कारस्वरूप चेक वितरित किया जायगा। उक्त पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 'अल्पसंख्यक अधिकार दिवस' समारोह के अवसर पर भी किया जा सकता है।

7. उक्त योजनान्तर्गत समस्त आवेदन पत्रों का संग्रहण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पर किया जायेगा। आवेदन पत्र जनप्रतिनिधियों एवं अन्य माध्यमों से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयों में सीधे नहीं भेजे जायेगें। यदि कोई आवेदन पत्र डाक से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्राप्त होता है, तो उसे विलम्बतम एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्रों को पंजीकृत किये जाने हेतु एक रजिस्टर रखा जायेगा एवं आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र को रजिस्टर में क्रमबद्ध रूप से पंजीकृत करते हुए प्राप्ति का दिनांक व समय भी अंकित किया जायेगा तथा उक्त पंजीकरण संख्या को आवेदन पत्र पर भी अंकित किया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद ही समस्त आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।

क्रमशः....

8. योजना का कियान्वयन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा तथा ऑडिट एवं निरीक्षण हेतु अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे।

9. एक वित्तीय वर्ष में इस योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि को अल्पसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा विभिन्न जनपदों हेतु आवंटित कर दिया जायेगा।

10. इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो या कोई संशोधन अपेक्षित हो तो निदेशालय द्वारा इस सम्बन्ध में निराकरण हेतु प्रस्ताव शासन के विचारार्थ सन्दर्भित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 364(P)/XXVII-I/2016 दिनांक : 11 फरवरी, 2016 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या : (1)/XVII(3)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी. एस. बोरा)
उपसचिव।

संख्या : 1158 / XVII-3 / 2016–07(37) / 2013

प्रेषक,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक : 23 अगस्त, 2016

विषयः प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 183 / XVII-3 / 2016–07(37) / 2013 दिनांक 15.02.2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना" को क्रियान्वित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए, योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष / शैक्षणिक वर्ष 2015–16 से किए जाने हेतु मार्गदर्शक निर्देश निर्गत किए गये हैं।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के सुगमतापूर्वक एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.02.2016 के निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 पर अंकित प्रस्तरों को स्तम्भ–3 पर अंकित संशोधित प्रस्तरों से प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

क्र. सं.	गाइडलाइन संबंधी शासनादेश दिनांक 15.02.2016 की वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
1	2	3
1	प्रस्तर–3.2 – छात्रा के माता–पिता/ अभिभावक गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हो अथवा उनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 81,000/– (₹ इक्यासी हजार मात्र) तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 1,03,000/– (₹ एक लाख तीन हजार मात्र) से कम हो। अग्रेतर यह भी कि उक्त आय सीमा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलायी गयी छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप होगी।	प्रस्तर–3.2 – छात्रा के माता–पिता/ अभिभावक गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हो अथवा उनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 81,000/– (₹ इक्यासी हजार मात्र) तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 1,03,000/– (₹ एक लाख तीन हजार मात्र) से कम हो।

क्रमशः...

2	प्रस्तर–3.3 – आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी, जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो, के द्वारा प्रदत्त ही मान्य होगा, जिसे आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।	प्रस्तर–3.2 – आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी, जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो, के द्वारा प्रदत्त ही मान्य होगा, जिसे छात्रा द्वारा योजनान्तर्गत पात्र/अर्ह पाए जाने के उपरान्त यथाप्रकिया मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
2	प्रस्तर–3.7 – योजना का लाभ मेरिट सूची के आधार पर दिया जायेगा अर्थात प्राप्त आवेदनपत्रों में से पात्रता की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली छात्राओं की प्रवीणता सूची (मेरिट सूची) तैयार की जायेगी। योजना का लाभ उपलब्ध बजट धनराशि के सापेक्ष उसी वित्तीय वर्ष में दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अवशेष आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।	प्रस्तर–3.7 – योजना का लाभ मेरिट सूची के आधार पर दिया जायेगा। योजना का लाभ उपलब्ध बजट धनराशि के सापेक्ष उसी वित्तीय वर्ष में दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3	प्रस्तर–3.8 – पुरस्कार हेतु मेधावी छात्राओं का चयन प्रवीणता सूची के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने के आधार पर "पहले आओ–पहले पाओ" नीति से उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।	प्रस्तर–3.8 – पुरस्कार हेतु मेधावी छात्राओं का चयन संबंधित परीक्षा बोर्ड की प्रवीणता सूची के अनुसार उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।
4	प्रस्तर–5 – हाईस्कूल परीक्षा/मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट आलिम परीक्षा में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण बालिकाओं के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जायेंगे। राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर विज्ञापनों का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्रदेश में प्रकाशित होने वाले दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की जायेगी। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा पात्र बालिकाओं का चयन तथा चयनित सूची का प्रकाशन 30 सितम्बर तक कर लिया जायेगा तथा भुगतान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर ली जायेगी।	प्रस्तर–5 – जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा बोर्ड की मेरिट सूची के आधार पर पात्र/चयनित बालिकाओं की संस्तुति के उपरान्त भुगतान की प्रक्रिया दिनांक 31 अगस्त तक पूर्ण कर ली जायेगी।

क्रमशः...

74